

01/299

कसूल करने एवं अविचारी को गैरिक्त रूप
से खेदखल करने हेतु लिखा जावे। मारा
काशी हेतु पत्रावली परस को गेजी जावे।
जद लकरीय पत्रावली दखिख रफ्तार हे।

2019

वर्ष 2018-19 में पत्रि. 4
न. नं. के पृष्ठ सं. 82 का
रु. 10200 की मांग कावय. 11

18

राजकीय यंत्रणा के द्वारा

01.19

पट्टावली पेश हुई। पट्टावली का अंक 199
 दिया गया। संक्षिप्त में प्रकृता इस प्रकार
 है कि पट्टावली हल्का मयूरी ने रिपोर्ट पेश
 की है कि ग्राम मयूरी के ख. नं. 285 में मु.
 वजड की 0.08 हेक्टर भूमि पर गैर याचक
 नूनगर पुत्र दानशर जाति गुसाई निवासी
 मयूरी ने गेहूं की इसका कान्त कर कति-
 कृत कर बिदा है। प्रकृता राज. भू-राजस्व
 अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत श्री
 उर गैर याचक को नोटिस दिया जा। गैर
 याचक सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहा।
 अतः इसके विरुद्ध इकुतरदा कार्यकारी
 अमल में लाई जाती है।

पट्टावली की रिपोर्ट एवं भू-अधिकार
 निरीक्षण की जांच के तहत प्रमाणित है कि गैर
 याचक ने ग्राम मयूरी की धारा 91 वज मुक्ति ख.
 नं. 285 में मु. वजड के 0.08 हेक्टर पर अति-
 कृत कर बिदा है और गेहूं की इसका कान्त कर
 की है। अतः कान्त कर बिदा जाया है कि अतिचारी
 द्वारा अतिकृत कर को भी गेहूं की इसका
 कृत कर वीकात की जावे। अतिचारी को अति-
 कृत कर के 0.08 हे. पर से जेदतक कर
 बिदा जावे। सम्बन्ध 2015 वर्ष 2018-19 में कि
 गए अतिकृत कर के लिए सरकारी लान का 50 गुण
 रु. 10/- अधिक दस रु. चुमाना कारोपित किया जात
 है।

पट्टावली व भू-अ. निरीक्षण को अति, कृत कर
 पर को भी गेहूं इसका कृत कर वीकात करे, चुकाना
 नाम
 - लगातार -